<u>राज्य लोक सेवा अधिकरण, इन्दिरा भवन, लखनऊ।</u>

उपस्थितिः–**<u>मा0 श्री सुरेश चन्द्रा, उपाध्यक्ष (प्रशा0)</u>**

<u>निर्देश याचिका सं0–2852/2022</u>

शिखर श्रीवास्तव, आयु लगभग 48 वर्ष, पुत्र श्री अन्जनी कुमार श्रीवास्तव, निवासी पिकौरा बक्श, गांधी नगर, बस्ती।

.....याची।

बनाम

1. उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव, आबकारी विभाग, उ0प्र0 शासन, सिविल सचिवालय, लखनऊ।
2. आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 प्रयागराज।

..... विपक्षीगण।

<u>निर्णय</u>

(मा0 श्री सुरेश चन्द्रा, उपाध्यक्ष (प्रशा0) द्वारा श्रुतिलेखित)

यह निर्देश याचिका याची द्वारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम 1976 की धारा–4 के अन्तर्गत विपक्षीगण द्वारा पारित उसकी एक वेतनवृद्धि अस्थाई प्रकृति से रोके जाने एवं परिनिन्दा प्रविष्टि संबंधित आलोच्य आदेश दिनांक 06.01.2022 (हस्ताक्षरित तिथि 31.12.2021) (अनुलग्नक–1) एवं आदेश दिनांक 09.09.2022 (अनुलग्नक–2) को निरस्त करते हुए उसे समस्त पारिणामिक सेवा लाभ एवं रोकी वेतनवृद्धि का एरियर 18 प्रतिशत ब्याज के साथ प्रदान किये जाने हेतु विपक्षीगण को निर्देशित किये जाने के उददे्श्य से योजित की गयी है।

2. याची का कथन है कि आबकारी विभाग में उसकी प्रारम्भिक नियुक्ति आबकारी निरीक्षक के पद पर दिनांक 21.04.2011 को हुई थी। वर्तमान में वह सेक्टर–4, मुरादाबाद में तैनात है। उसे मात्र एक आरोप में आरोप पत्र दिनांक 07.03.2018 (अनुलग्नक–3) निर्गत कर 15 दिन के अंदर अपना उत्तर देने हेतु निर्देशित किया गया, जिसके परिप्रेक्ष्य में उसके द्वारा का उत्तर दिनांक 27.06.2018 (अनुलग्नक–4) प्रस्तुत करते हुए आरोपों का खण्डन किया गया, जिसके उपरांत जांच अधिकारी द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील), नियमावली, 1999 के नियिम–7 के अनुसार जांच कार्यवाही संपादित किये बगैर अपनी जांच आख्या दिनांक 11.10.2018 (अनुलग्नक–5) प्रस्तुत कर दी गयी, जिसके आधार पर

उसके विरूद्ध कारण बताओ नोटिस दिनांक 27.01.2020 (अनुलग्नक–6) निर्गत की गयी, तत्क्रम में उसके द्वारा वस्तुस्थिति का उल्लेख करते हुए अपना विस्तृत स्पष्टीकरण (अनुलग्नक–7) प्रस्तुत किया गया, तदोपरांत विपक्षी सं0–2 द्वारा कारण बताओ नोटिस दिनांक 22.12.2020 (अनुलग्नक–8) निर्गत की गयी, जिसके क्रम में उसके द्वारा अपना विस्तृत स्पष्टीकरण दिनांक 05.09.2021 (अनुलग्नक–9) प्रस्तुत किया गया, परंतु दण्डाधिकारी द्वारा उसके उत्तर में अंकित तथ्यों पर बिना विचार किये एवं अपना मन्तव्य अंकित किये ही उसके विरूद्ध अकारण व अमुखरित आलोच्य दण्डादेश दिनांक 06.01.2022 पारित कर दिया गया, जबकि उसके द्वारा कोई कदाशयता/कदाचार नहीं किया गया था और न ही राज्य सरकार को वित्तीय हानि हुई थी। याची का यह भी कथन है कि प्रकरण में आबकारी उपायुक्त, बस्ती प्रभार द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 15.02.2018 के आधार पर उसके साथ एक अन्य श्री नीरज तिवारी, आबकारी निरीक्षक, एरिया–2, सिद्धार्थ नगर के विरूद्ध भी आबकारी उपायुक्त, देवीपाटन प्रभारी, गोण्डा द्वारा ही विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी थी, जो उसे मात्र चेतावनी देकर समाप्त कर दी गयी, परंतु उसके विरूद्ध अमुखरित एवं अकारण आलोच्य दण्डादेश दिनांक 06.01.2022 पारित किया गया, जिसके विरूद्ध उसके द्वारा अपील दिनांक 17.05.2022 (अनुलग्नक–10) प्रस्तुत की गयी, जिसे विपक्षी सं0–2 द्वारा प्रेषित एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट/अभिलेख, जो उसे उपलब्ध नहीं कराया गया, के आधार पर अपीलीय आदेश दिनांक 09.09.2022 के माध्यम से निरस्त कर दी गयी, अतः उक्त आदेशों के विरूद्ध याची द्वारा प्रस्तुत निर्देश याचिका योजित की गयी है एवं उसके द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में कई विधि–व्यवस्थाओं का उल्लेख भी किया है।

3. विपक्षीगण द्वारा लिखित कथन दाखिल करते हुए आरोप का उल्लेख करते हुए यह कहा गया है कि उक्त आरोप में उ0प्र0 सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 (यथासंशोधित) के नियम–3(1) व 3(2) के उल्लंघन के प्रथमदृष्टया दोषी पाये जाने के कारण आयुक्तालय के पत्र दिनांक 07.03.2018 द्वारा आरोप का गठन कर उसके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित कर उप आबकारी आयुक्त, देवीपाटन प्रभार, गोण्डा को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया, जिनके द्वारा जांचोपरांत अपनी आख्या दिनांक 11.10.2018 प्रस्तुत की गयी, जिसमें उस पर अधिरोपित आरोप आंशिक रूप से सिद्ध पाये जाने पर उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम–9(4) के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 27.01.2020 जारी कर उससे प्राप्त अभ्यावेदन परीक्षणोपरांत संतोषजनक न पाये जाने एवं उसके द्वारा अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों के प्रति बरती गयी घोर लापरवाही एवं उदासीनता के लिये एक वेतनवृद्धि अस्थायी रूप से रोकने एवं परिनिन्दा का दण्ड प्रस्तावित करते

हुए आयुक्तालय के पत्र दिनांक 22.12.2021 द्वारा पुनः कारण बताओ नोटिस जारी कर उससे प्राप्त अभ्यावेदन दिनांक 05.09.2021, संबंधित तथ्यों, परिस्थितियों, पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखों एवं उसके उत्तर के अवलोकनोपरांत आयुक्तालय के आदेश दिनांक 06.01.2022 द्वारा एक वेतनवृद्धि अस्थायी रूप से रोकने एवं परिनिन्दा का दण्ड पारित किया गया है, जिसके विरूद्ध उसके द्वारा प्रस्तुत अपील भी अपीलीय आदेश दिनांक दिनांक 09.09.2022 द्वारा निरस्त की गयी है, जो विधिसम्मत, नियमानुसार एवं मुखरित आदेश है, अतः याची कोई अनुतोष पाने का विधिक अधिकारी नहीं है।

4– याची की ओर से प्रत्युत्तर शपथ दाखिल कर लिखित कथन में अंकित तथ्यों का खण्डन करते हुए निर्देश याचिका में उल्लिखित तथ्यों की पुनरावृत्ति की गयी है।

5– मेरे द्वारा याची के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6– प्रस्तुत प्रकरण में याची पर यह आरोप है कि "जनपद सिद्धार्थनगर के क्षेत्र–1, नौगढ़ में दिनांक 10.02.2018 को श्री आर0के0 द्विवेदी, उप आबकारी आयुक्त, ई0आई0बी0 द्वारा आपको साथ लेकर विदेशी मदिरा दुकान तेतरी बाजार सिविल लाइन, सिद्धार्थनगर का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय दुकान पर विक्रेता श्री रंजीत सिंह पुत्र श्री प्रमोद सिंह, निवासी सलेमपुर देवरिया उपस्थित रहे। निरीक्षण के समय दुकान पर रायल स्टैग बिना ढक्कन 180 एम0एल0 14, रायल स्टैगसील टूटी बिना होलोग्राम 180 एम0एल0 11, रायल स्टैग सील बन्द जल मिश्रित 180 एम0एल0 09, मैकडावेल बिना होलोग्राम 180 एम0एल0 09, इम्पीरियल ब्लू बिना होलोग्राम 375 एम0एल0 03, रायल स्टैग बिना होलोग्राम 375 एम0एल0 23, 9 पी0एम0 375 एम0एल0 03, मैकडावेल सील टूटी 750 एम0एल0 01 अनियमिततायें/कमियां पायीं गयीं।

इसके अतिरिक्त विक्रेता द्वारा न तो अनुज्ञापन प्रस्तुत किया गया और न ही एफ0एल0–36 पास, केवल स्टाक रजिस्टर प्रस्तुत किया गया, जो दिनांक 22.01.2018 तक भरा पाया गया।

निरीक्षण के समय मौका देखकर विक्रेता फरार हो गया। उपरोक्त स्टाक को कब्जे में लेकर अनुज्ञापिनी श्रीमती प्रेमलता जायसवाल पत्नी श्री शंकर प्रसाद जायसवाल, निवासी दिलेजाकपुर, थाना कोतवाली, गोरखपुर व विक्रेता श्री रंजीत सिंह पुत्र प्रमोद सिंह, निवासी सलेमपुर, देवरिया द्वारा अनुज्ञापित परिसर में होलोग्राम के साथ छेड़छाड़ कर बिना होलोग्राम के मदिरा रखना, बिना ढक्कन के शीशियों में जल अपमिश्रित शराब रखना व

शीशियों से छेड़छाड़ कर सरकारी राजस्व की क्षति पहुंचायी गयी, जिसके लिये संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (यथासंशोधित) की धारा–60(2) व 64क(2) एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा–420, 467, 468 व 471 के अंतर्गत अनुज्ञापिनी व विक्रेता के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है।

इस प्रकार विदेशी मदिरा की उक्त दुकान पर बिना ढक्कन व बिना होलोग्राम व सील टूटी हुई शीशियें की बरामदगी से दुकान में अपमिश्रण किया जाना सिद्ध होता है, जिसके लिये आप प्रथमदृष्टया उत्तरदायी प्रतीत होते हैं। उक्त से स्पष्ट है कि आपका अपने क्षेत्रान्तर्गत अनुज्ञापियों पर नियंत्रण पूर्णतया शिथिल है तथा आप द्वारा अपने दायित्वों का सम्यक् निर्वहन न करके राजस्व की क्षति कारित की गयी, अतः आप उ0प्र0 राजकीय कर्मचारी आचरण नियमावली, 1965 (यथासंशोधित) के नियम–3(1) व 3(2) के उल्लंघन के दोषी हैं।"

7– उक्त आरोप के संबंध में निर्गत आरोप पत्र दिनांक 07.03.2018 के संबंध में याची द्वारा अपना उत्तर दिनांक 27.06.2018 प्रस्तुत किया गया, तदोपरांत उक्त आरोप की जांच श्री ए0के0 राय, उप आबकारी आयुक्त, देवीपाटन प्रभार, गोण्डा द्वारा करते हुए अपनी जांच आख्या दिनांक 11.10.2018 प्रस्तुत की गयी।

8– याची द्वारा अपनी निर्देश याचिका के प्रस्तर–4.5 व 4.6 द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया है कि जांच अधिकारी द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम–7 के अनुसार जांच कार्यवाही संपादित न करते हुए अपनी जांच आख्या प्रस्तुत कर दी, जिसमें उस पर उक्त आरोप हेतु आंशिक रूप से दोषी पाया गया। इसके अतिरिक्त उसके द्वारा प्रस्तुत उत्तर दिनांक 27.06.2018 के उपरांत, श्री एस0पी0 राव, उप आबकारी आयुक्त, बस्ती प्रभार को दिनांक 17.09.2018 को पूर्वाह्न 11:00 बजे जांच अधिकारी के कार्यालय में उपस्थित होने हेतु एक पत्र दिनांक 10.09.2018 प्रेषित किया गया, जिनके प्रतिनिधि के रूप में श्री रविन्द्र सिंह, वरिष्ठ सहायक ने उपस्थित होकर अभिलेखीय साक्ष्यों की पुष्टि की गयी, जबकि नियमों एवं स्थापित विधि के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही में आरोप पत्र से संबंधित अभिलेखीय साक्ष्यों की पुष्टि मात्र आरोप निर्मित किये जाने वाले के द्वारा ही की जानी चाहिए, न कि उसके किसी प्रतिनिधि के द्वारा। याची के इस तर्क का कोई खण्डन विपक्षीगण द्वारा नहीं किया गया है, इससे स्पष्ट है कि याची के प्रकरण में उक्त नियमावली, 1999 के नियम–7 का पालन नहीं किया गया है, जिससे जांच आख्या स्थिर रहने योग्य नहीं है।

9– याची द्वारा अपनी निर्देश याचिका के प्रस्तर–4.7 द्वारा यह तर्क भी प्रस्तुत किया है कि उसके द्वारा आरोप पत्र के संबंध में कई बिन्दुओं का उल्लेख करते हुए 07 पृष्ठ का अपना उत्तर दिनांक 27.06.2018 प्रस्तुत किया गया था, परंतु जांच अधिकारी द्वारा उसके किसी भी बिन्दु पर विचार न करते हुए उसे अधिरोपित आरोप में आंशिक रूप से दोषी माना गया, इस तर्क के संबंध में अवलोकित जांच आख्या से स्पष्ट है कि याची द्वारा प्रस्तुत उत्तर में अंकित किसी भी तथ्य का कोई समावेश/विचार जांच आख्या में नहीं किया गया है।

10– उक्त जांच आख्या के आधार पर याची के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस दिनांक 27.01.2020 निर्गत करते हुए उससे एक सप्ताह के अंदर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गयी, जिसके संबंध में उसके द्वारा विपक्षी सं0–2 के समक्ष अपना उत्तर प्रस्तुत करते हुए जांच अधिकारी के निष्कर्ष का खण्डन किया, परंतु विपक्षी सं0–2 द्वारा पुनः एक कारण बताओ नोटिस दिनांक 22.12.2020 निर्गत करते हुए एवं उसके विरूद्ध एक वेतनवृद्धि अस्थायी रूप से रोकने एवं परिनिन्दा का दण्ड प्रस्तावित करते हुए उसे 15 दिन के अंदर उत्तर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये, जिसके अनुपालन में उसके द्वारा अपना उत्तर दिनांक 05.09.2021 प्रस्तुत करते हुए आरोपमुक्त किये जाने की याचना की गयी। इस तर्क के संबंध में याची के उक्त उत्तर दिनांक 05.09.2021 का अवलोकन किया गया, जिसमें उसके द्वारा प्रस्तर–2 में निम्न उल्लेख किया हैः–

> 2– "वर्ष 2017–18 तक आबकारी दुकानों का व्यवस्थापन नवीनीकरण तथा नवीनीकरण न हो पाने की स्थिति में लाटरी द्वारा होता रहा। वर्ष 2018–19 के लिये घोषित आबकारी नीति के अंतर्गत आबकारी दुकानों का व्यवस्थापन नये सिरे से ई–लाटरी के माध्यम से किया जाना था। आयुक्तालय के पत्र दिनांक 25.01.2018 तथा दिनांक 30.01.2018 को मा0 आबकारी मंत्री जी की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में दिये गये दिशा निर्देशों एवं जिला आबकारी अधिकारी, सिद्धार्थनगर के पत्र दिनांक 04.02.2018 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में देशी शराब के एम.जी.क्यू. व विदेशी मदिरा, बियर एवं माडल शाप की लाइसेंस फीस को युक्तियुक्त करते हुए तत्संबंधी विवरण–पत्र शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर आयुक्तालय को उपलब्ध कराना था। दिनांक 15.01.2018 को तेतरी बाजार का निरीक्षण किया गया था, किन्तु उक्त महत्वपूर्ण कार्य में अत्यधिक व्यस्तता के कारण दिनांक 10.02.2018 के पूर्व दुकानों के निरीक्षण हेतु पर्याप्त समय नहीं दिया जा सका। अनुज्ञापी द्वारा मेरी व्यस्तता का लाभ उठाते हुए प्रश्नगत अनियमितता की गयी, जिसे रोका नहीं जा सका।

3– "अभिलेखीय साक्ष्य तत्कालीन उप आबकारी आयुक्त, बस्ती प्रभार बस्ती के पत्र दिनांक 15.02.2018 में भी मेरे विरूद्ध कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गयी है। मेरे द्वारा क्षेत्र के अनुज्ञापियों पर नियंत्रण का हर संभव प्रयास किया गया है तथा किसी प्रकार की शिथिलता/अकर्मण्यता नहीं बरती गयी है।"

11– याची द्वारा यह तर्क भी किया है कि उसके उत्तर में अंकित उक्त तथ्य व अन्य तथ्यों पर बिना विचार किये, दण्डाधिकारी द्वारा अपना मत अंकित किये बगैर एवं उसके स्पष्टीकरण को स्वीकार न किये जाने का कोई कारण अंकित किये उसके विरूद्ध अकारण व अमुखरित दण्डादेश दिनांक 06.01.2022 (हस्ताक्षरित तिथि 31.12.2021) पारित किया गया है।

12– प्रस्तुत प्रकरण में याची पर अपने पदेन दायित्वों के प्रति लापरवाही, अनुज्ञापियों पर शिथिल नियन्त्रण एवं संलिप्तता के आधार पर उ0प्र0 कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम–3(1) एवं 3(2) के उल्लंघन का दोषी पाया गया है, इस संबंध में जांच आख्या दिनांक 13.08.2021 के निष्कर्ष एवं आलोच्य दण्डादेश दिनांक 11.10.2018 के अवलोकन से स्पष्ट है कि याची की किसी भी लाइसेंसधारक के साथ कोई मिली–भगत या षडयन्त्र सिद्ध नहीं हुआ है और न ही उसके विरूद्ध ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जो याची पर लगे आरोप को सिद्ध करता हो, इस प्रकार से याची का किसी प्रकार का कोई ill-motive परिलक्षित नहीं होता है, अतः याची के कृत्य को खराब आशय या दुराचरण की श्रेणी में नहीं माना जा सकता, इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने **यूनियन आफ इण्डिया बनाम जमाल अहमद,(1979) 1022** में निम्न व्यवस्था दी हैः–

> "There may be negligence in performance of duty or error of judgment in evaluating the developing situation and there may be negligence in discharge of duty would not constitute misconduct."

13. इसी संबंध में मा0 न्यायालय द्वारा **बलदेव सिंह गांधी बनाम स्टेट आफ पंजाब एवं अन्य, एआईआर 2002 एससी पेज 1124** में निम्न व्यवस्था दी गयी हैः–

> "Misconduct has not been defined in the Act. The word 'misconduct' is antithesis of te word 'conduct'. Thus, ordinarily the expression 'misconduct' means wrong or improper conduct, unlawful behavior, misfeasance, wrong conduct, misdemeanor etc."

14. उक्त के ही क्रम में **कुलदीप सिंह बनाम पुलिस आयुक्त, एआईआर 1999 एससी 671** में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्न पारित व्यवस्था अवलोनीय हैः–

> "An employee has to be based on credible evidence available on record of the disciplinary proceedings."

15– याची द्वारा अपनी निर्देश याचिका के प्रस्तर–4.17 व 5.11 द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया है कि उप आबकारी उपायुक्त, बस्ती प्रभार द्वारा प्रेषित पत्र सं0–1151 दिनांक 15.02.2018 (जो एक एकल अभिलेखीय साक्ष्य है) के आधार पर ही उसके एवं एक अन्य श्री नीरज तिवारी, आबकारी निरीक्षक, एरिया–2, सिद्धार्थ नगर के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की गयी और दोनों के ही प्रकरण में उप आबकारी आयुक्त, देवीपाटन प्रभार, गोण्डा जांच अधिकारी नियुक्त हुए थे। पत्र दिनांक 15.02.2018 से स्पष्ट है कि याची द्वारा संबंधित घटना में लाइसेंस धारक एवं विक्रेता के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी थी और जिसमें उसकी उक्त से किसी प्रकार की मिलीभगत नहीं पायी गयी थी, परंतु अन्य श्री नीरज तिवारी द्वारा मात्र विक्रेता के विरूद्ध ही प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की थी और लाइसेंस धारक के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की थी, जिस कारण श्री तिवारी को लाइसेंस धारक से मिलीभगत का दोषी पाया गया, परंतु जांच अधिकारी द्वारा उक्त श्री नीरज तिवारी को मात्र चेतावनी संबंधित आदेश माह अगस्त, 2018 पारित करते हुए विभागीय कार्यवाही समाप्त कर दी गयी और उसके विरूद्ध एक वेतनवृद्धि अस्थायी प्रकृति से रोके जाने एवं परिनिन्दा दण्ड संबंधित दण्डादेश दिनांक 06.01.2022 पारित किया गया है, जिसे किसी प्रकार से विधि अनुसार नहीं कहा जा सकता। इससे याची के उक्त तर्क में बल है। इस तर्क का कोई खण्डन विपक्षीगण द्वारा अपने लिखित कथन में नहीं किया गया है।

16– किसी भी प्रकरण में समान दोष पाये जाने के बावजूद मात्र एक ही व्यक्ति के विरूद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष अंकित किये जाने के संबंध में **विनोद कुमार श्रीवास्तव बनाम सचिव, पी0डब्लू0डी0 व अन्य, 2012(3) ईएससी 1487 इला0डी0बी0** में निम्न व्यवस्था दी गयी हैः–

> "Disciplinary proceedings-Infliction of punishment of Censor and Stoppageof One increment-Challenge against-Petitioner was working as Assistant Engineer-Charge of use of sub-standard material in public works-No action against other two officers have been taken-No maintenance grant was there for about two years-As the respondents while awarding punishment to petitioner have failed to consider the fact that charges against two other employees were the same but they were not punished, and thus have discriminated against the petitioner. Impugned order quashed.

17– उक्त के ही क्रम में **टाटा इंजीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कं0 लि0 बनाम जितेन्द्र प्रसाद सिंह, (2001)10 एससीसी 530** मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा व्यवस्था दी गयी है।

18– याची द्वारा अपनी निर्देश याचिका के प्रस्तर–4.16 द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया है कि जांच अधिकारी अथवा दण्डाधिकारी में से किसी के द्वारा भी उसके स्तर से राज्य सरकार को वित्तीय हानि होने का कोई मत अंकित नहीं किया गया है, इस तर्क की पुष्टि जांच आख्या व दण्डादेश से होती है और विपक्षीगण द्वारा अपने लिखित कथन में भी इस तर्क का कोई खण्डन नहीं किया गया है। उसका तर्क है कि उसके द्वारा प्रस्तुत किसी भी तथ्यों पर विचार किये बगैर ही जांच आख्या के आधार पर उसके विरूद्ध अमुखरित एवं अकारण आलोच्य दण्डादेश दिनांक 06.01.2022 पारित किया गया है, इस तर्क के संबंध में आलोच्य दण्डादेश दिनांक 20.01.2022 का अवलोकन किया गया, जिसका सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"प्रश्नगत प्रकरण से संबंधित तथ्यों, परिस्थितियों, पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखों, जांच अधिकारी की जांच आख्या एवं अपचारी आबकारी निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत उत्तर/अभ्यावेदन का अवलोकन किया गया। परीक्षणोपरांत पाया गया कि क्षेत्र–1, सिद्धार्थनगर में स्थित विदेशी मदिरा दुकान तेतरी बाजार, सिद्धार्थनगर का उप0आ0आ0, ई0आई0बी0 द्वारा किये गये निरीक्षण में पकड़ी गयी अनियमितताओं यथा अपमिश्रित/तनुकृत, मदिरा की 09 पौवा (180 एम0एल0) व 03 अद्धा (375 एम0एल0), बिना ढक्कन के 14 पौवा, बिना होलोग्राम के 20 पौवाव 26 अद्धा तथा सील टूटी हुई 11 पौवा व 01 बोतल (750 एम0एल0) की बरामदगी हुई। अपचारी आबकारी निरीक्षक का यह कहना मान्य नहीं है कि उनके व्यवस्थापन एवं नवीनीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य में अत्यधिक व्यवस्तता का लाभ उठाकर अनुज्ञापी द्वारा प्रश्नगत अनियमितता कारित की गयी। अपचारी आबकारी निरीक्षक द्वारा कहा गया है कि दिनांक 15.01.2018 को भी विदेशी मदिरा दुकान तेतरी बाजार के निरीक्षण पर पौवों में जल मिश्रण पाया गया था। उक्त से स्पष्ट है कि अपचारी आबकारी निरीक्षक द्वारा प्रश्नगत दुकान पर पूर्व में पायी गयी अनियमितता के बाद भी सजगता नहीं बरती गयी, जो उनकी अपने पदेन दायित्वों के प्रति लापरवाही एवं शिथिलता को सिद्ध करता है।

अतः सम्यक् विचारोपरांत निम्नलिखित शास्ति प्रदान करते हुए श्री शिखर श्रीवास्तव, तत्कालीन आबकारी निरीक्षक, क्षेत्र–1, सिद्धार्थनगर सम्प्रति आबकारी निरीक्षक क्षेत्र–4 मुरादाबाद के विरूद्ध संस्थित विभागीय कार्यवाही एतद्द्वारा समाप्त की जाती हैः–

1– एक वेतनवृद्धि अस्थाई प्रकृति से रोकी जाती है।

2– उप0आ0आ0, ई0आई0बी0 द्वारा किये गये निरीक्षण में पकड़ी गयी अनियमितताओं यथा अपमिश्रित/तनुकृत, मदिरा की 09 पौवा (180 एम0एल0) व 03 अद्धा (375 एम0एल0), बिना ढक्कन के 14 पौवा, बिना होलोग्राम के 20 पौवाव 26 अद्धा तथा सील टूटी हुई 11 पौवा व 01 बोतल (750 एम0एल0) की बरामदगी के प्रकरण में अपने दायित्वों के सम्यक् निर्वहन में बरती गयी शिथिलता एवं उदासीनता के लिए श्री शिखर श्रीवास्तव, आबकारी निरीक्षक की "परिनिन्दा" की जाती है।"

19– उक्त शब्दावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि दण्डाधिकारी द्वारा अपने मस्तिष्क का प्रयोग किये बगैर, अपना मन्तव्य व कारण अंकित किये बगैर, मात्र जांच आख्या से सहमत होते हुए याची के विरूद्ध दण्डादेश दिनांक 06.01.2022 पारित किया गया है, जिसे किसी प्रकार से सकारण व मुखरित आदेश नहीं कहा जा सकता। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **यूनियन ऑफ इण्डिया बनाम मोहन लाल कपूर, (1973)2एस0सी0सी0836** में अवधारित किया गया है कि "कारण और निष्कर्ष" अन्योन्याश्रित हैं और दोनों के मध्य तार्किक संबंध हैः–

> "Reasons are the links between the materials on which certain conclusions are based and the actual conclusions. They disclose how the mind is applied to the subject matter for a decision whether it is purely administrative or quasi-judicial. They should reveal a rational nexus between the facts considered and the conclusions reached."

20– सकारण व मुखरित आदेश पारित करने की अनिवार्यता के संबंध में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा **एस0एन0 मुखर्जी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया, (1990)4 एस0सी0सी0594** में व्यवस्था दी गयी है, जिसका सुसंगत उद्धरण निम्नवत् हैः–

> "reason must be recorded while awarding punishment and in this regard what is necessary is that the reasons must be clear and explicit so as to indicate that the authority has given due consideration to the point of controversy."

21– याची ने अपनी निर्देश याचिका के प्रस्तर–4.23 द्वारा यह तर्क भी किया है कि दण्डादेश दिनांक 06.01.2022 के विरूद्ध एक अपील दिनांक 17.05.2022 प्रस्तुत की गयी, जो दण्डाधिकारी द्वारा प्रेषित एक रिपोर्ट, जो एक वाह्य सामग्री (Extraneous material) थी, के आधार पर निरस्त कर दी गयी, उसकी प्रति उसे उपलब्ध नहीं करायी गयी, जो नैसर्गिक न्याय

के सिद्धान्तों एवं मा0 उच्च न्यायालय द्वारा **भाष्कर उपाध्याय बनाम उ0प्र0 राज्य, 1990 एससीडी 753** में दी गयी व्यवस्था के विपरीत है। इस तर्क के संबंध में विपक्षीगण द्वारा अपने लिखित कथन में उक्त वाह्य सामग्री/रिपोर्ट, याची को उपलब्ध कराये जाने के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गयी है, अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा भी अपीलीय आदेश पारित करते समय याची के तथ्यों का संज्ञान नहीं लिया गया है, जिस कारण अपीलीय आदेश दिनांक 09.09.2022 भी स्थिर रहने योग्य नहीं है।

अतः उक्त संपूर्ण विवेचना, तथ्यों, तर्को व विधि–व्यवस्थाओं के आलोक में याची के विरूद्ध विपक्षी सं0–2 द्वारा पारित आलोच्य दण्डादेश दिनांक 06.01.2022 (हस्ताक्षरित तिथि 31.12.2021) एवं विपक्षी सं0–1 द्वारा पारित अपीलीय आदेश दिनांक 09.09.2022 अकारण एवं अमुखरित होने के कारण विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है व स्थिर रहने योग्य नहीं है।

आदेश

निर्देश याचिका स्वीकार की जाती है। याची के विरूद्ध विपक्षी सं0–2 द्वारा पारित आलोच्य दण्डादेश दिनांक 06.01.2022 (हस्ताक्षरित तिथि 31.12.2021) (अनुलग्नक–1) एवं विपक्षी सं0–1 द्वारा पारित अपीलीय आदेश दिनांक 09.09.2022 (अनुलग्नक–2) निरस्त किये जाते हैं। उक्त आदेशों के निरस्तीकरण के फलस्वरूप याची उन समस्त सेवा लाभों को प्राप्त करने का अधिकारी होगा, जो उक्त के कारण रोके गये हों। उक्त समस्त कार्यवाही इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्ति के तीन माह के अंदर पूर्ण कर ली जाये।

उभयपक्ष अपना अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे।

ह0/–
(सुरेश चन्द्रा)
उपाध्यक्ष (प्रशासकीय)

निर्णय आज खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित/दिनांकित करके सुनाया गया।

ह0/–
(सुरेश चन्द्रा)
उपाध्यक्ष (प्रशासकीय)

दिनांकः 19 मार्च, 2024
अर्चना पाल, निजी सचिव